रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2019/पौष 24, 1940
No. 193] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2019/PAUSHA 24, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 **जनवरी**, 2019

का.आ. 291(अ).—केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मध्य प्रदेश सरकार और बैंक ऑफ इंडिया तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक हैं, से परामर्श करने के पश्चात यह विचार है कि जनहित और उपर्युक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन क्षेत्रों में सेवा दी जा रही है, उन क्षेत्रों के विकास के हित में तथा स्वयं उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के हित में यह आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाना चाहिए;

अत:, केंद्रीय सरकार अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 23क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलित करने का उपबंध करती है जो ऐसे गठन, संपत्ति, शक्ति, अधिकार, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों; तथा ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, के साथ अप्रैल, 2019 का पहला दिन से प्रभावी होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात 'समामेलन की प्रभावी तारीख़' कहा गया है):-

1. मध्य प्रदेश राज्य में बैंक ऑफ इंडिया तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कहा गया है) को एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक** में समामेलित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक' कहा गया है) जिसका प्रधान कार्यालय **इंदौर** में होगा और इसका प्रायोजक बैंक **बैंक ऑफ इंडिया** होगा

2. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्ण चुकता शेयरों की दो सौ करोड़ की संख्या में विभाजित होगी। अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की अभिदत्त शेयर पूंजी अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के बराबर होगी तथा इस प्रकार, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सम्पूर्ण अभिदत्त शेयर पूंजी हस्तांतरित मानी जाएगी और अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की अभिदत्त शेयर पूंजी के रूप में मानी जाएगी।

3. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा निम्नांकित हैः-

1.	शेयर पूंजी	
(क)	केन्द्र सरकार	एक सौ इक्यासी करोड़ और बतीस लाख रुपए;
(ख)	राज्य सरकार	चौवन करोड़ और चालीस लाख रुपए;
(ग)	प्रायोजक बैंक	एक सौ छब्बीस करोड़ और बानवे लाख रुपए;
2.	शेयर पूंजी जमा	शून्य

4. समामेलन की प्रभावी तारीख़ से, अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, जैसे नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक पर, इस अधिसूचना के अनुसार समामेलन के उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक होगा, को छोड़कर किन्हीं भी जमाकर्ताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने या उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की देनदारी या बाध्यताएं चुकाने सहित कारोबार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. समामेलन की प्रभावी तारीख से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रम, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे।

(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के उपक्रमों में सभी आस्तियों, अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी चल तथा अचल संपत्तियों, शेष नकदी, आरक्षित निधियों, निवेश और अन्य सभी अधिकार तथा ऐसी संपत्तियों पर या उससे प्राप्त होने वाला ब्याज, जो इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में हो, चाहे वह भारत में हो या बाहर तथा सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर, रिकार्ड और उससे संबंधित सभी प्रकार के अन्य सभी कागजात शामिल होंगे तथा इसके अंतर्गत अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का उस समय निर्वाह करने वाले सभी प्रकार के उधारों, देयताओं और दायित्वों को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) इस अधिसूचना के लागू होने से तत्काल पूर्व निर्वाह करने वाली या प्रभावी सभी संविदाएं, करार बाण्ड, समझौते, गारंटियां, मुख्तारनामा, कानूनी प्रतिवेदन की मंजूरी और किसी भी प्रकार के अन्य लिखत और जिसके लिए अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंक एक पक्ष हैं या जो अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पक्ष में हैं, पूरी क्षमता से अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध या पक्ष में होंगे और इसे पूरी तरह से तथा प्रभावी ढंग से अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के स्थान पर लागू किया गया है, अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक इसका एक पक्ष रहा है या मानो उन्हें अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो;

(ग) यदि, समामेलन की प्रभावी तारीख को अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के किसी कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरूद्ध लम्बित है, यह अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों के अंतरण इस अधिसूचना में दिए गए किसी तथ्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दुराग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा या के विरूद्ध जारी रखी जा सकेंगी, अभियोजन किया जा सकेगा और लागू किया जा सकेगा;

(घ) किसी समझौता, संविदा, हस्तांतरण पत्र, आश्वासन, मुख्तारनामा या किसी भी प्रकार के किसी अन्य कागजात में अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से किए गए पत्राचार को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से किया गया पत्राचार माना जाएगा और अंतरणकर्ता बैंकों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अधिकार और बाध्यताएं माना जाएगा।

6.(क) अंतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमाराशियां, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि या किसी भी नाम से जाने जाने वाली किसी अन्य जमाराशियों सहित कोई अन्य जमाराशि खाते के संबंध में अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख को अपने यहां उसके संबंधित जमाकर्ताओं के नाम से तदनुरूपी और समान खाता खोलेगा और उसके ब्याज की देय मात्रा सहित पूरी राशि जमा करेगा:

परंतु, जहां कि अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को किसी खास खाते में की गई प्रविष्टियों के सही होने पर पर्याप्त शक हो, यह प्रायोजक बैंक के अनुमोदन से समामेलन की प्रभावी तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए उस खाते में जमा करने की प्रक्रिया को रोक सकता है जिसके भीतर अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि सुनिश्चित करेगा।

(ख) अन्य सभी देयताओं के संबंध में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार सम्पत्ति, आस्ति और देयताओं, अधिकारो, हितो, शक्तियों, विशेषाधिकारों, लाभों और किसी भी प्रकार के दायित्वों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

7.(क) अंतरणकर्ता प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जो कर्मकार न हों) की सेवा अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में उसी पारिश्रमिक और सेवा की उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, यथास्थिति, समामेलन की प्रभावी तारीख से तत्काल पूर्व जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और/या पदोन्नत किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्णय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तारीख़ 25.11.2013 के पत्र संख्या एनबी.आईडीडी. आरआरसीबीडी/ 2065/462/(आईएसएस)2013-14 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

8. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के पास बैंक और जनता के हित में कर्मचारियों को अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समस्त परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात या नियुक्त करने का अधिकार है।

9. अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र में अंतरणकर्ता बैंकों, अर्थात नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दतिया, देवास, धार, डिण्डोरी, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, इन्दौर, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ, रतलाम, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, उज्जैन, उमरिया और विदिशा जिले प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र में शामिल होंगे।

10. जब तक इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों का अंतरिती प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर ऐसा प्रभाव होगा मानो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया हो।

[फा. सं. 7/8/2017-आरआरबी(मध्य प्रदेश)]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Service)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2019

S.O. 291(E).—Whereas the Central Government, after consultation with the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), the Government of Madhya Pradesh and the Bank of India and Central Bank of India**,** being the Sponsor Banks of Narmada Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank, is of the opinion that it is necessary in the public interest and in the interest of the development of the area served by the aforesaid Regional Rural Banks and also in the interest of the said Regional Rural Banks themselves, that the said Regional Rural Banks should be amalgamated into a single Regional Rural Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as "the Act"), the Central Government hereby provides for the amalgamation of the said Regional Rural Banks into a single Regional Rural Bank which shall come into effect on and from **the first day of April, 2019** (hereinafter referred to as the "effective date of amalgamation") with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Narmada Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank (hereinafter referred to as "the transferor Regional Rural Banks") sponsored by the Bank of India and Central Bank of India in the State of Madhya Pradesh are hereby amalgamated into a single Regional Rural Bank which shall be called as **Madhya Pradesh Gramin Bank** (hereinafter referred to as "the transferee Regional Rural Bank") with its head office at **Indore** under the sponsorship of **Bank of India**.

2. The authorized capital of the transferee Regional Rural Bank shall be two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under:-

1	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees one hundred and eighty one crore and thirty two lakh
(b)	State Government	Rupees fifty four crore and forty lakh
(c)	Sponsor Bank	Rupees one hundred and twenty six crore and ninety two lakh
2	Share Capital Deposit	Nil

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks viz. Narmada Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation as per this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) The undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

(b) All contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;

(c) If, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to, the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against, the transferee Regional Rural Bank;

(d) Any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable:

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account.

(b) In respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The service of all the employees of the transferor Regional Rural Banks (excepting such of them as not being workmen within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 [14 of 1947]) shall continue in the transferee Regional Rural Bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, or, as the case may be, by which they were governed immediately before the effective date of amalgamation.

(b) The inter-se-seniority of officers and employees, directly recruited or promoted, shall be decided as per the guidelines by the National Bank for Agriculture and Rural Development issued vide letter number NB.IDD.RRCBD/ 2065/462/(ISS)2013-14 dated 25.11.2013. Further, if any issue arises in this regard, the same shall be decided by a Committee comprising representatives of National Bank for Agriculture and Rural Development and Sponsor Bank.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks viz. Narmada Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank in the Districts of Agar Malwa, Alirajpur, Anuppur, Balaghat, Barwani, Betul, Bhind, Bhopal, Burhanpur, Chhindwara, Datia, Dewas, Dhar, Dindori, Gwalior, Harda, Hoshangabad, Jabalpur, Jhabua, Katni, Khandwa, Khargone, Indore, Mandla, Mandsaur, Morena, Narsingpur, Neemuch, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Ujjain, Umaria and Vidisha in the State of Madhya Pradesh.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No 7/8/2017-RRB(Madhya Pradesh)]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.15 20:13:57 +05'30'